न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 31 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. गुमानाराम पुत्र केशराराम 2. आतु उर्फ आत्माराम जातियान मेघवाल निवासी सुवाड़ा तहसील रामसर जिला बाड़मेर	1. महेन्द्राराम पुत्र मेहराण 2. हरलाल पुत्र मेहराण जातियान मेघवाल निवासीयान सुवाड़ा तहसील रामसर जिला बाड़मेर 3. श्रीमान तहसीलदार रामसर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18 / 2023 बउनवान गुमानाराम वगैरह बनाम महेन्द्राराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुरेशकुमार पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सभी रेस्पोडेंटान के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया था कि मौज़ा सुवाड़ा पटवार क्षेत्र भाचभर तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 की सम्पूर्ण भूमि अपीलांट द्वारा उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के पिता मेहराण वल्द अमरा से दिनांक 30.01.1973 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के क्रय की थी, जो उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 66 पेज संख्या 257 से 258 पर क्रम संख्या 118 / 73 पर दिनांक 08.02.1973 को दर्ज की गई है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख में सहवन से खसरा संख्या 81 का अंकन होने से राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम से खसरा संख्या 81 दर्ज हुई जो आज दिन तक कायम है। जबकि अपीलांट का वास्तविक कब्जा मौजा सुवाड़ा पटवार हल्का भाचभर तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 रकबा 65.16 हैक्टेयर पर काबिज है। तत्समय निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 30.01.1973 में अर्जीनवीश द्वारा भूलवंश

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 81 अंकित हो गया था, जिस कारण से राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम खसरा संख्या 81 की जमाबंदी में वक्त खरीद के समय दायर नामांतकरण के दौरान इन्द्राज हुआ जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में कायम है। जबकि वक्त बेचान के पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित पड़ौस अनुसार अपीलांट को वास्तविक भौतिक कब्जा खसरा संख्या 208 में सुपूर्द किया था एवं उक्त भौतिक कब्जे व पड़ौस अनुरूप अपीलांट वक्त खरीद से आज दिन तक खसरा सख्या 208 में अपनी रहवासीय ढाणीयों सहित उन विद्युत कनेक्शन स्थापित कर, पानी के टांके व पशुबाड़ा बनाकर अपंना जीवन यापन कर रहे है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि मौजा सुवाड़ा पटवार क्षेत्र भाचभर तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 की सम्पूर्ण भूमि अपीलांट द्वारा उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के पिता मेहराण वल्द अमरा से दिनांक 30.01.1973 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के क्रय की थी, जो उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 66 पेज संख्या 257 से 258 पर क्रम संख्या 118/73 पर दिनांक 08.02.1973 को दर्ज की गई है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख में सहवन से खसरा संख्या 81 का अंकन होने से राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के नाम से खसरा संख्या 81 दर्ज हुई जो आज दिन तक कायम है। जबकि अपीलांट का वास्तविक कब्जा मौजा सुवाड़ा पटवार हल्का भाचभर तहसील रामसर के खसरा संख्या 208 रकबा 65.16 हैक्टेयर पर काबिज है। तत्समय निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 30.01.1973 में अर्जीनवीस द्वारा भूलवश खसरा संख्या 81 अंकित हो गया था, जिस कारण से राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम खसरा संख्या 81 की जमाबंदी में वक्त खरीद के समय दायर नामांतकरण के दौरान इन्द्राज हुआ जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में कायम है। जबकि वक्त बेचान के पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित पड़ौस अनुसार अपीलांट को वास्तविक भौतिक कब्जा खसरा संख्या 208 में सुपुर्द किया था एवं उक्त भौतिक कब्जे व पड़ौस अनुरूप अपीलांट वक्त खरीद से आज दिन तक खसरा सख्या 208 में अपनी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रहवासीय ढाणियों सहित उन विद्युत कनेक्शन स्थापित कर, पानी के टांके व पशुबाड़ा बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि पंजीवद्ध दस्तावेजों के अनुसार मौजा सुवाड़ा के खेत खसरा संख्या 81 रकबा 64.11 बीघा का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.01.1973 को किया गया है जिसमें आस–पड़ौस भी स्पष्ट लिखे हुये हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता उत्तरदाता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–CCC 2011(1) Page 20

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किय पंजीबद्ध दस्तावेज के अनुसार मौजा सुवाड़ा के खेत खसरा संख्या 81 रकवा 64.11 बीघा का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.01.1973 को किया गया है जिसमें आस–पड़ौस भी स्पष्ट लिखे हुये हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन किया गया। अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिका
बाड़मेर

संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण की गई। उपरोक्त विवेचदन एवं तथ्यों के आलोक मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 18/2023 वउनवान गुमानाराम वगैरह बनाम महेन्द्राराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

19/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर